

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 921
गुरुवार, 8 फरवरी, 2024 /19 माघ, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विश्वस्तरीय विमानन पेशेवर तैयार करने वाला संस्थान

921. श्री सुनील कुमार सिंह:
श्री रणजित सिंह नाईक निंबालकर:
श्री दिलीप शङ्कीया:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:
श्री नारणभाई काछड़िया:
श्री विद्युत बरन महतो:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विश्वस्तरीय विमानन पेशेवरों को तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो अपनी विमानन प्रशिक्षण और उत्पादन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विदेशी संस्थानों पर निर्भर रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) से (ग): जी हां, सरकार ने अमेठी (उत्तर प्रदेश) में राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इगुआ) की स्थापना की है। ये अकादमी नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त निकाय है। इगुआ के उड़ान घंटों एवं जारी किए गए सीपीएल का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	बेड़ा	उड़ान घंटे	जारी किए गए सीपीएल
2017	24	15,382	50
2018	23	14,699	73
2019	23	15,137	67
2020	20	11,641	43
2021	18	19,019	61
2022	17	18,622	66
2023	15	11,145	98

मार्च 2021 में, आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में इगुआ ने सप्ताह के सभी दिन उड़ान प्रशिक्षण प्रारंभ किया है जो कि 2024 में भी जारी रहेगा। यह इस अकादमी के प्रचालन घंटों में महत्वपूर्ण ढंग से वृद्धि करेगा।

इगुआ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वर्षभर प्रशिक्षण गतिविधियों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, गोंदिया, महाराष्ट्र के सैटेलाइट संचालन केंद्र (base) को नागर विमानन महानिदेशालय से आवश्यक अनुमोदनों को प्राप्त करते हुए स्थायी रूप से दूसरा उड़ान संचालन केंद्र (base) बना दिया गया है। निरीक्षणों एवं रखरखाव के निष्पादन हेतु सभी सुविधाओं को इस अतिरिक्त संचालन केंद्र (base) में स्थापित कर दिया गया है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (आरजीएनएयू) की स्थापना एक संसदीय अधिनियम अर्थात् राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 द्वारा फुरसतगंज अमेठी, उत्तर प्रदेश में की गई है। विश्वविद्यालय की परिकल्पना विमानन परिवेश में उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थान के रूप में की गई है, जिसका उद्देश्य भारत में विमानन उद्योग के संवर्धन के लिए अत्याधुनिक विमानन पेशेवर और महत्वपूर्ण अनुसंधान प्रदान करना है।

इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य भारत में विमानन उद्योग के अंतर्गत सभी उप-क्षेत्रों के संचालन और प्रबंधन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उद्योग के साथ मिलकर विमानन अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान को सुविधाजनक बनाना और बढ़ावा देना है।

वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित तीन पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं:

क. हवाईअड्डा प्रचालनों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएओ) 18 महीने का पाठ्यक्रम (06 महीने की इंटरशिप सहित)

ख. विमानन सेवाओं तथा एयर कार्गो में प्रबंधन अध्ययन स्नातक- 36 महीने का पाठ्यक्रम (12 महीने की इंटरशिप सहित)

ग. आधारभूत अग्निशमन पाठ्यक्रम (बीएफएफसी) 06 महीने का पाठ्यक्रम

विमानन प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरा करने और घरेलू प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

(i) नागर विमानन मंत्रालय ने उदारीकृत उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है, जिसमें हवाईअड्डे की रॉयल्टी (एफटीओ द्वारा एएआई को राजस्व शेयर भुगतान) की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है और भूमि किराये को काफी तर्कसंगत बनाया गया है।

(ii) वर्ष 2021 में, एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पांच हवाईअड्डों नामतः बेलगावी (कर्नाटक), जलगाँव (महाराष्ट्र), कलबुर्गी (कर्नाटक), खजुराहो (मध्य प्रदेश) तथा लीलाबारी (असम) पर नौ एफटीओ स्लॉट अवार्ड किए थे इन एफटीओ स्लॉट में से आठ प्रचालनरत हैं: जलगाँव, कलबुर्गी और खजुराहो में दो-दो, लीलाबारी और बेलगावी में एक-एक।

(iii) वर्ष 2022 में, एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पांच हवाईअड्डों नामतः भावनगर (गुजरात), हुबली (कर्नाटक), कडप्पा (आंध्र प्रदेश), किशनगढ़ (राजस्थान) तथा सलेम (तमिलनाडु) पर छह और एफटीओ स्लॉट अवार्ड किए थे। वर्तमान में सलेम (तमिलनाडु) पर एक एफटीओ स्लॉट प्रचालनरत है।

(iv) नागर विमानन महानिदेशालय, ड्रोन नियम 2021 के अनुसार ड्रोन प्रशिक्षण स्कूलों को मंजूरी देता है। इन नियमों के तहत, वर्तमान में, देश भर में प्रशिक्षण/कौशल प्रदान करने के लिए 80 ड्रोन ट्रेनिंग स्कूलों को मंजूरी प्रदान की गई है। अब तक, इन प्रशिक्षण स्कूलों ने 9140 ड्रोन पायलटों को प्रमाणित किया है।

(v) वर्तमान में, देश में सीपीएल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 57 संचालन केंद्रों (bases) पर 36 एफटीओ कार्यरत हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने विमानन क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र (एनएसडीसी) और एयरोस्पेस एंड एविएशन सेक्टर स्किल काउंसिल (एएएसएससी) के साथ मिलकर चंडीगढ़ और मुंबई में विमानन कौशल केंद्र स्थापित किए हैं।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमानन उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं में सामंजस्य स्थापित करने और अधिक व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए विमान रखरखाव प्रशिक्षण संगठनों की मंजूरी के लिए सीएआर -147 (बेसिक) को पहले ही लागू कर दिया है।
